राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग | निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक : F.26(4)(13)Vit-A/IEC/ICDS/2017-18/ 125502-62 दिनांक : 28/10/2020
क्रमांक : DMHS/ICDS/Vit-A/39/2020/ 547 दिनांक : 28/10/2020

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क)
समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास

विषयः–विटामिन–ए कार्यक्रम का अगला चरण 30 अक्टूबर 2020 से 30 नवम्बर 2020 तक संचालन के क्रम मे।

जैसा कि आपको विदित है विटामिन–ए की कमी के कारण बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयासों व सहयोग से 9 माह से 5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष साल में दो बार विटामिन–ए की खुराक पिलाने का विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

कार्यक्रम का अगला चरण **30 अक्टूबर 2020 से 30 नवम्बर 2020** तक संचालित किया जायेगा। इस महत्वपूर्ण कार्य की सफलता एवं उसके कियान्वयन में सभी के सहयेाग की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः आप से अपेक्षा है कि निम्न निर्देशो को ध्यान में रखतें हुये कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु उचित कार्यवाही करेगे :–

1. कार्यक्रम के सफल संचालन एवं जनसहभागिता बढ़ाने हेतु विटामिन–ए की उपयोगिता का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। सभी अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क) अपने जिले में विटामिन–ए कार्यक्रम के प्रचार हेतु स्थानीय PRO को एक प्रेस नोट देकर स्थानीय सभी सामाचार पत्रो मे प्रकाशन करवाने का श्रम करे।
2. जिला/परियोजना/सेक्टर एवं आंगनबाड़ी स्तर पर कार्ययोजना तैयार करें। ताकि आगामी दिनों में विटामिन 'ए'– की आपूर्ति एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएँ पूर्ण की जा सके। जनगणना 2011 के आधार पर 9 माह से 5 वर्ष की आयु के बच्चों की संभावित संख्या आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो कि आपके इस कार्यक्रम हेतु लक्ष्य है।
3. सभी जिलों में अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क) के माध्यम से बीसीएमओ को विटामिन ए की आपूर्ति करा दी गयी है। पिछले चरण में अवशेष रही विटामिन ए का उपयोग पहले किया जावें। पूर्व की बन्द शेष बोतलों के उपयोग के बाद ही नई बोतलों का उपयोग करें।
4. **सभी जिलों में अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क) को उपलब्ध कराई गई विटामिन ए की मात्रा में से 8 प्रतिशत विटामिट ए की बोतले अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क) अपने जिले में उपलब्ध चिकित्सा संस्थाओं (उप स्वास्थ्य केन्द्र, पीएचसी, सीएचसी, सेटेलाईट, उप जिला अस्पताल एवं जिला अस्पताल) को उपलब्ध करवाने हेतु रखेगे व समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।**
5. अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क) अपने जिले के शहरी क्षेत्रों में कार्यरत निजी चिकित्सालय जिनमें टीकाकरण होता हो उनको एक अथवा दो बोतल विटामिन ए की आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगें , निजी चिकित्सालयो में एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक का होना आवश्यक है, तभी उन्हें विटामिन–ए उपलब्ध करवाया जावें।
6. विटामिन–ए कार्यक्रम में 9 माह से 12 माह तक एवं विटामिन ए की अतिरिक्त खुराक हेतु 1 वर्ष से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को चिन्हित किया जाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनबाडी केन्द्र की परिधि में आशा–सहयोगिनी के द्वारा एवं जिन आंगनबाडी केन्द्र पर आशा सहयोगिनी का पद रिक्त है, वहां आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा तथा जिन आंगनबाड़ी केन्द्र पर आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं आशा–सहयोगिनी दोनो का ही पद रिक्त है उन क्षेत्र के सभी बच्चों को निकट के उपस्वास्थ्य केन्द्र की महिला स्वास्थ्यकर्मी के द्वारा विटामिन–ए दिया जाना सुनिश्चित करें तथा इस हेतु अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क) आवश्यक आदेश मय दिनांक एएनएम के जारी करे।

7. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ए0एन0एम0, एवं आंगनबाडी कार्यकर्ता, ग्रामस्तर पर एलएचवी, बीएचएस, एवं एलएस आईसीडीएस सेक्टर पर व सीडीपीओ एवं बीसीएमओ ब्लॉक स्तर पर माइक्रोप्लान 20 से 28 के बीच मे बनायेगे।
8. शहरी क्षेत्रों में पल्स पोलियों के माईक्रोप्लान के अनुसार (बेस मानकर) विटामिन ए का माईक्रोप्लान तैयार करेगें तथा सभी बच्चों को निर्देशानुसार विटामिन ए पिलाया जाना सुनिश्चित करेगे।
9. आंगनबाड़ी केन्द्रो पर निर्धारित माह में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। आशा–सहयोगिनी घर–घर जाकर विटामिन –ए की खुराक के लिए बच्चों की पहचान कर ड्यू लिस्ट तैयार करेंगी। उक्त ड्यू लिस्ट 25 अक्टूबर, 2019 तक आवश्यक रूप से तैयार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
10. विटामिन ए कार्यक्रम के दौरान कोविड– 19 के सभी निर्देशों कि पालना सुनिश्चित की जावे ।
    - कोविड –19 हेतु चिन्हित कंटेनमेंट जोन/घरों, जिन्हें क्वारंटीन किया गया है, मे विटामिन–ए , जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन/घरों की सूची से हटाने के बाद ही किया जाएगा।
    - विटामिन ए के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों (शहरी एवं ग्रामीण), उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी क्षेत्र में अरबन पीएचसी में समस्त 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए दवा पिलाने हेतु कोविड–19 के सभी निर्देशों (जैस सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, दस्ताने पहनना, स्वच्छता का पालना, भीड़ रोकने के प्रबन्धन आदि) का पालन किया जाये, लाभार्थियों को एक साथ केन्द्र पर न बुलाये।
    - प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों (शहरी एवं ग्रामीण), उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी क्षेत्र में अरबन पीएचसी में कार्यक्रम के दौरान खुली एवं छायादार जगह पर 6–6 फिट की दूरियों पर गोले अंकित किये जाये जिससे 9 माह से 5 वर्ष बच्चों में उचित दूरी की सुनिश्चिता की जायें।
    - विटामिन ए पिलाने की निगरानी करते समय, एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस बात की जांच करेंगी कि बच्चे मे कोविड–19 के लक्षण जैसें बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और नाक बंद तो नहीं है और पूर्व में कोविड –19 के मरीजों से संपर्क में नहीं होने की भी जानकारी प्राप्त करेगी।
    - एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किसी बच्चे में कोविड –19 के लक्षण दिखाई देने पर बच्चे को विटामिन ए की दवा नहीं पिलाई जायेगी।
    - सभी लाभार्थियों को दवा पिलाने सें पूर्व एएनएम एवं आशा द्वारा अपने हाथों को साबून से कम से कम 20 सैकण्ड तक धोने होगें।
    - संस्थान पर दवा पिलाने हेतु उपयोग में लिये जाने वाले चम्मच एवं कटोरी को प्रत्येक बार उपयोग से पूर्व साबून एवं पानी से धोकर साफ किया जाये।
    - संस्थान पर समस्त स्टॉफ , प्रथम पंक्ति कार्यक्रर्ताओं बच्चों , बच्चों के माता –पिता एवं अभिभावकों के लिए हाथ धोने की सुविधा हेतु साबून और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
    - आंगनबाड़ी केन्द्रों , उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कोविड–19 दिशा – निर्देशानुसार नियमित सफाई और सेनीटाइजेशन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
    - विटामिन ए स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को खांसते या छींकते समय अपने मुख या नाक को अपनी मुड़ी कोहनी से ढकना चाहिए , आंख नाक और मुख को नहीं छूना चाहिए और हाथों को साफ रखना चाहिए।
    - विटामिन ए स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को किसी व्यक्ति के संपर्क में आने पर और किसी सतह को छूने के बाद साबुन/लिक्विड सोप एवं पानी से अपने हाथ धोंए एवं हाथों को हैंड सेनिटाइजर (अल्कोहल युक्त 60 प्रतिशत) से साफ करें।
    - एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यक्रर्ताएँ व आशाएँ जो की कोविड–19 से संक्रमित है अथवा कोविड–19 के लक्षण है को कार्यक्रम की गतिविधि में संक्रमण मुक्त होने पर सम्मिलित किया जायेंगा।
11. विटामिन–ए घोल की शीशी एक बार पिलाने के पश्चात निर्देशानुसार ही काम में लिया जावें। Expiry Date का पूर्णतया ध्यान रखा जावें। घर पर विटामिन ए पिलाने हेतु बोतल के साथ उपलब्ध चम्मच से नाप कर घरेलू दूसरी साफ चम्मच का प्रयोग करे तथा चम्मच की सफाई का पूर्णतया ध्यान रखे।

12. 9 माह से 12 माह तक के बच्चे को विटामिन ए बोतल के साथ उपलब्ध चम्मच से आधा चम्मच (1ml) तथा 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों को एक चम्मच (2ml) विटामिन ए लेकर घरेलू चम्मच से पिलावे। विटामिन ए छः माह के अंतराल से पिलावें।
13. बच्चें को विटामिन –ए पीने से प्रायः किसी प्रकार का नुकसान नही होता फिर भी यदि किसी बच्चें में विटामिन ए की दवा पीने के पश्चात कोई साइड इफेक्ट यथा उल्टी, दस्त, जी–घबराना आदि दिखाई दे तो बच्चे को निकटतम चिकित्सा संस्थान पर रेफर किया जावें।
14. सेक्टर बैठक में सभी कार्यकर्ता एवं आशा–सहयोगिनी का आमुखीकरण करें। शेष बची विटामिन ए बोतल की सूचना एवं आगामी चरण हेतु विटामिन–ए की आवश्यकता की सूचना प्राप्त करे।
15. विटामिन–ए की जो रिपोर्ट तैयार की जाऐ उस पर पर्यवेक्षक, ए.एन.एम. एवं आशा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करें।
16. अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क) विटामिन ए को बीसीएमओ स्तर तक आवश्यक रूप से 20 अक्टूबर 2020 तक पहुँचा दे व 25 अक्टूबर 2020 तक बीसीएमओं स्तर से PHC /उप स्वास्थ्य केन्द्र तक व एएनएम 28 अक्टूबर 2020 तक विटामिन ए आंगनबाडी स्तर तक पहुँचा देवें। ब्लाक सीएमएचओ सुनिश्चित करेगें कि तय समय सीमा मे विटामिन ए PHC/उप स्वास्थ्य केन्द्र तक एवं सीडीपीओं सुनिश्चित करेगें कि आंगनबाड़ी केन्द्र तक पहुँच जाये।
17. स्थानीय खाद्य पदार्थ में विटामिन–ए की उपलब्धता के बारे में अवगत कराते हुये उक्त पदार्थो को सेवन करने हेतु प्रोत्साहित करें।
18. कार्यक्रम का प्रबोधनः–
    - सामान्य टीकाकरण एवं विटामिन–ए की खुराक से लाभान्वित बच्चों का आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूर्ण रिकार्ड संधारित किया जावें।
    - अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क), उप निदेशक आईसीडीएस कम से कम दस आंगनबाड़ी /मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं 5 गॉवों का निरिक्षण करेगें जहाँ पर आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है
    - अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क), उप निदेशक आईसीडीएस से उन गांवों की लिस्ट प्राप्त करेगें जहां आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है या जहां केन्द्र तो है। मगर कार्यकर्ता नहीं है एवं फिर इन गांवों मे पास के उपकेन्द्र की एएनएम का निश्चित दिनांक मे उन गांवों मे टूयर निर्धारित कर विटामिन ए पिलाया जाना सुनिश्चत करगें। इस हेतु 25 अक्टूबर 2020 तक अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क) आवश्यक आदेश निकालेगे।
    - ब्लाक सीडीपीओ अपनी रिपोर्ट उप निदेशक आईसीडीएस को भेजेगें एवं उप निदेशक आईसीडीएस अपनी रिपोर्ट अतिरिक्त निदेशक आईसीडीएस को भेजेगें जब कि अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क) अपनी रिपोर्ट सीधे ही अतिरिक्त निदेशक (आईसीडीएस) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को मेल आईडी (jd_icds@yahoo.com, jd-icds-rj@gov.in) पर 15 दिसम्बर 2020 तक आवश्यक रूप से भेजेगें।
    - उक्त कार्यक्रम की उपलब्धि शत–प्रतिशत प्राप्त करने का प्रयास करें तथा उक्त कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

विटामिन ए के कार्यक्रम की रिपोर्ट हेतु प्रस्तावित रिपोर्टिंग प्रपत्र एवं भ्रमण प्रपत्र संलग्न प्रेषित है।

निदेशक समेकित बाल विकास सेवाऍ राज0 सरकार	निदेशक (आर0सी0एच0) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क राज0 सरकार

क्रमांक : F.26(4)(13)Vit-A/IEC/ICDS/2017-18/ 125563-650 दिनांक : 28/10/2020
क्रमांक : FDMHS/ICDS/Vit-A/OCT-2020/ 547 दिनांक : 28/10/2020

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव चिकि. स्वा. एवं परि. क. एवं मिशन निदेशक, एन.एच.एम.
3. निजी सचिव, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, आरसीएच, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर..।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकरी, जिला परिषद् ....।
8. समस्त अधिकारीगण (मॉनिटर्स) ....।
9. प्रभारी अधिकारी सर्वर रूप।
10. एसीपी (उपनिदेशक), समेकित बाल विकास सेवाएँ, को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राज0 सरकार

निदेशक (आर0सी0एच0)
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क
राज0 सरकार

District wise Estimated Child Under 9 Month to 5 Year (2020)

S. No.	Name of Districts	Total Target (9 Month to 5 Year)
1-	Ajmer	279093
2-	Nagaur	364958
3-	Tonk	144948
4-	Bhilwara	263890
5-	Jaipur	678909
6-	Dausa	188964
7-	Sikar	270977
8-	Jhunjhunu	202934
9-	Alwar	431379
10-	Churu	229445
11-	Bikaner	297239
12-	Ganganagar	179188
13-	Hanumangarh	168583
14-	Jalore	234004
15-	Barmer	387846
16-	Jaaisalmer	101835
17-	Pali	209353
18-	Sirohi	128318
19-	Jodhpur	449508
20-	Bundi	114227
21-	Jhalawar	150712
22-	Kota	184364
23-	Baran	131393
24-	Chittorgarh	153306
25-	Pratapgarh	112058
26-	Udaipur	381332
27-	Rajsamand	128222
28-	Dungarpur	180054
29-	Banswara	244819
30-	Bharatpur	321086
31-	Dholpur	159306
32-	Sawai Madhopur	146135
33-	Karuali	176147
State Total		**7794532**

विटामिन ए रिर्पोट प्रपत्र अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

कुल प्राइवेट अस्पताल की संख्या A	कितने प्राइवेट अस्पताल मे विटामिन ए पिलाई B	कितने बच्चों को विटामिन ए पिलाई C	चिकित्सा संस्थानों मे विटामिन ए पिलाए गये बच्चों की संख्या D	कुल कितने बच्चों को विटामिन ए पिलाई B+C+D	कुल कितने निरिक्षण किये

निरीक्षण प्रपत्र विटामिन ए अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /बीसीमओ)

क्र0स0	अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /ब्लाक सीमएचओ की विजिट की दिनांक	आंगनवाड़ी पर उपलब्ध विटामिन –ए बोतलो की संख्या मय Expiriy date	कितने बच्चों को दवा पिलाई गई (संख्या)	जनसंख्या के आधार से अनुमानित बच्चों कि संख्या (लगभग 11.5 प्रतिशत)	आंगनवाड़ी रजिस्टर मे नामांकित बच्चों कि संख्या	माइक्रोप्लान उपलब्ध है या नहीं	आंगनवाड़ी के हस्ताक्षर	कुल कितने टूयर किये ADD./DY CMHO /BCMO

अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
हस्ताक्षर

नोटः– अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उक्त प्रफोमा सभी बीसीमओ को उपलब्ध करवाए।

विटामिन ए रिर्पोट प्रपत्र उप निदेशक आईसीडीएस

38वे चरण की विटामिन ए की शेष बोतलो की संख्या	39 वें चरण हेतु विटामिन ए की प्राप्त की बोतलों की संख्या व दिनांक	कुल विटामिन ए उपलब्ध बोतलो की संख्या	39 वें चरण हेतु उपयोग की गई विटामिन ए की संख्या	शेष रही विटामिन ए बोतलो की संख्या	लक्षित बच्चों की संख्या	लाभान्वित बच्चों की संख्या ICDS	आगामी चरण हेतु विटामिन ए बोतलों की आवश्यकता (शेष रही बोतलो को घटा कर)

निरीक्षण प्रपत्र विटामिन ए (उप निदेशक आईसीडीएस एवं सीडीपीओ केलिए)

क्र0स0	उप निदेशक आईसीडीएस/ सीडीपीओ की विजिट की दिनांक	आंगनवाड़ी पर उपलब्ध विटामिन –ए बोतलो की संख्या मय Expiriy date	कितने बच्चों को दवा पिलाई गई (संख्या)	जनसंख्या के आधार से अनुमानित बच्चों कि संख्या (लगभग 11.5 प्रतिशत)	आंगनवाड़ी रजिस्टर मे नामांकित बच्चों कि संख्या	माइक्रोप्लान उपलब्ध है या नहीं	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर	कुल कितने टूयर किये DD/CDPO

उप निदेशक आईसीडीएस हस्ताक्षर

नोटः– उप निदेशक (आईसीडीएस) उक्त प्रफोमा सभी सीडीपीओ को उपलब्ध करवाए।

विटामिन ए रिर्पोट प्रपत्र जिला प्रजनन शिशु अधिकारी